FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम–रुपनगढ, जिला–अजमेर

बाबूलाल **बनाम** **कालूराम**

नम्बर– 85 वर्ष–2024

किस्म मुकदमा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री अरविन्द दाधीच ने अन्तर्गत धारा–212 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया गया। वकील प्रार्थी की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः ग्राम रूपनगढ के वादग्रस्त ख0न0 2267 रकबा 4.9268 है0 भूमि में अप्रार्थी संख्या–1 आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थी के हिस्से की भूमि में कृषि कार्य आदि में दखलंदाजी नहीं करेंगे एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे। उक्तानुसार अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। वकील प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 की पालना सुनिश्चित करेंगे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रांवली दिनांक 21.8.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
21-8-24	बाद एसो. स्थगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30-10-24 को पेश हो	
4-9-24	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र वास्ते धारा 151 सी.पी.सी. के तहत राजस्व प्रार्थना-पत्र को विड्रा करने बाबत् तथा नये तथ्यों के साथ पुनः राजस्व प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने बाबत् पेश किया, जिस पर [illegible] की गई। प्रार्थी [illegible] पर प्रार्थी एवं वकील [illegible] तदनुसार उक्त प्रार्थना-पत्र [illegible]कार किया जाता है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित, जिसकी पहचान वकील प्रार्थी द्वारा की गई।	अंगूठा बाबूलाल [illegible] by

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.09.24 13:20:55 IST
Reason: SelfAttested

मु.नं. 85/24 बाबूलाल / कालूराम

चूंकि मूल वाद जरिये विड्रोल खारिज किया जा चुका है, इस कारण उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सेकम हो

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh
Choudhary
Date: 2024.09.24 13:20:55 IST
Reason: SelfAttested